झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना –03/2021 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्षित

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– **व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के आलोक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षणार्थ कुल रू0 5,00,00,000/– (रू0 पांच करोड़) मात्र भुगतान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र (BOPT, ER), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथासंशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) में निहित प्रावधानों के आलोक में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त छात्रों को एक वर्ष के लिए विभिन्न Apprentices Scheme अन्तर्गत प्रशिक्षण दी जाती है। उक्त में निहित दिशा निर्देश के आलोक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रूप में प्रशिक्षणार्थ एवं मानदेय भुगतान हेतु विभागीय संकल्प संख्या 765 दिनांक 17.08.2021 निर्गत किया गया है। पुनः विभागीय संकल्प सं0 392 दिनांक 20.04.2023 द्वारा Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices जो एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर संबंधित विषय क्षेत्र में दक्ष हो चुके है वैसे इच्छुक प्रशिक्षुओं को एक अतिरिक्त वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः Advanced Graduate Apprentices एवं Advanced Technician Apprentices के रूप में कार्य लिये जाने हेतु आदेश निर्गत है। अतः उक्त तथ्यों तथा वित्त विभाग का पत्रांक 338/बजट दिनांक 28.03.2025 के आलोक में Apprentices के रूप में चयनित छात्रों को मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू0 5,00,00,000/– (रू0 पांच करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. i. Apprenticeship (Amendment) Rule, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रशिक्षण में छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृति के रूप में डिग्रीधारी छात्रों के लिए रू0 9,000/– प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी छात्रो के लिए रू0 8,000/– प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है एवं भुगतेय किये जाने वाली उक्त Stipend की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान Board of Practical Training (Eastern Region) भारत सरकार द्वारा किया जाने का प्रावधान है।

ii. राज्य सरकार द्वारा डिग्रीधारी प्रशिक्षु के लिए प्रति प्रशिक्षु छात्रवृति रू0 15,000/– प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रू0 10,500/– शामिल है तथा डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए कुल छात्रवृति रू0 10,000/– प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रू0 6,000/– शामिल है, दिया जायेगा। प्रति माह छात्रवृति की अवशेष राशि यथा–डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रू0 4500/– एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रू0 4000/– की राशि DBT के माध्यम से व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त होगा।

3. एक वर्ष के अतिरिक्त प्रशिक्षण के अवधि में Advanced Graduate Apprentices के लिए कुल छात्रवृति रू0 18,000/– प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु एवं Advanced Technician Apprentices के लिए कुल छात्रवृति रू0 12,000/– प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु का भुगतान किया जायेगा।

4. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय हाने वाली राशि का वहन राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा/लधु शीर्ष–003–प्रशिक्षण/उपशीर्ष–A7–प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीटयट नेटवर्किंग और सहयोग के

5. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय हाने वाली राशि का वहन राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा/लधु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष–A7–प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग के अन्तर्गत मानदेय ईकाई में उपबंधित राशि में से किया जाएगा।
(विपत्र कोड 43S220300796A7010109)
6. उपर्युक्त राशि का आवंटन आवश्यकतानुसार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा निदेशालय/राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/संबंधित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होगें।
8. प्रत्येक संस्थान प्रमुख/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकता का पत्रांक 890 दिनांक 12.02.2024, 943 दिनांक 19.02.2024, 930 दिनांक 23.02.2024 तथा 945 दिनांक 26.02.2024 के आलोक में Graduate Apprentices के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह रू0 4500/– एवं Technician Apprentices के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह रू0 4000/– की राशि का भुगतान DBT के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रशिक्षुओं का पंजीयन करवा लेंगे।
9. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/धनबाद/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/पलामू/जमशेदपुर/सरायकेला/गोडड़ा/उप कोषागार, तेनुघाट/सचिवालय कोषागार, डोरण्डा (राँची) से की जायेगी।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
11. यह राशि State Scheme Code 1288 से संबंधित है।
12. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक– 17/04/98 एवं पत्रांक 338 दिनांक–28.03.2025 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का हेागा।
14. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
16. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना –03/2021 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/धनबाद/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/पलामू/जमशेदपुर/सरायकेला/गोडड़ा/उप कोषागार, तेनुघाट/सचिवालय कोषागार, डोरण्डा (राँची) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना –03/2021/07/योजना /राँची, दिनांक– 04.06.2025

प्रतिलिपि– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड,/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/गोडड़ा/बोकारो/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थान, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/बजट शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/VI/25